अध्याय प्रथम

शोध परिचय

अध्याय–1
शोध परिचय

1.1 प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार उसकी भौतिक सम्पदा नहीं बल्कि प्रबुद्ध जनशक्ति होती है जिसका निर्माण सुव्यवस्थित एवं व्यापक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से होता है। वर्तमान युग में विज्ञान एवं तकनीक प्रतिस्पर्धा में शामिल प्रत्येक देश की स्थिति का आकलन शिक्षा के स्तर के द्वारा किया जाता है। क्योकि देश तथा समाज का मूल्यांकन उसके नागरिको की क्षमताओं व व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास अंततः शिक्षा पर निर्भर करता है।

शिक्षा प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान बालक का होता है। बालक तथा शाला की उन्नति के लिए उचित पाठ्यक्रम श्रेष्ठ पुस्तकें तथा उत्तम शिक्षा साधन उपयुक्त शाला गृहों की आवश्यकता है। शिक्षा समाज को विकासोन्मुख बनाती है शिक्षा के उद्देश्य, देशकाल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। जो समाज की परिवर्तित आवश्यकताओं के पूरक होते है शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि परिस्थितियों के अनुरूप उचित निर्णय लेकर सही मार्ग का चयन करें और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न अवसरों पर सही विकल्प का चुनाव कर सके। शिक्षा से बालक का समुचित शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास होता है।

विद्यालय प्रांगण में शिक्षक को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। सम्पूर्ण विद्यालय योजना को वही व्यवहारिक रूप देता है यदि शिक्षक इनका प्रयोग सही ढंग से नहीं करता तो अच्छी से अच्छी शिक्षण पद्धति प्रभाव रहित हो जाती है।

अज्ञानता से मुक्ति का सबल साधन शिक्षा ही है यह सोच गाँधी जी के मन में सदा रही और इसी के परिणाम स्वरूप बुनियादी तालीम बेसिक शिक्षा प्रणाली की अवधारणा बनी और उसके व्यावहारिक प्रयोग किए गए। इसी दूरदृष्टि के परिणाम स्वरूप संविधान के अनुच्छेद 45 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह राज्यों का उत्तरदायित्व होगा कि वो संविधान के लागू होने के दस वर्ष के भीतर 14 वर्ष तक की आयु के सभी

बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे। यह एक बहुत साहसपूर्ण और दूरगामी परिणाम वाला निर्णय था।

हाल में ही किए गए कुछ सर्वेक्षणों से पता लगता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग–70 प्रतिशत बच्चे स्कूल में जा रहे है जो 6 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे है उनमें साढ़े तीन करोड़ लड़कियाँ और ढाई करोड़ लड़के है। स्कूल के बाहर के ये बच्चे मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी से तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों से है। बाकी राज्यों में भी स्कूलों के बाहर के ऐसे बच्चे आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों से है। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों से है। बाकी राज्यों में भी स्कूल के बाहर के ऐसे बच्चे आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों से है। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैण्ड, शैक्षिक रूप से अग्रणी प्रदेश है। शिक्षा के विकास के साथ–साथ इन राज्यों ने यह भी सिद्ध किया है कि शिक्षा का विस्तार गरीबी से लड़ने का एक पीछे माने जाने वाले वर्गो को समानता का अधिकार से परिचित करा सकता है। शिक्षा सदियों से चली आ रही रूढ़िवादिता को समाप्त कर सकती है और संविधान में जो सामाजिक मान्यता की अपेक्षा की गई है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सहायता कर सकती है।

यह सही है कि संविधान में निहित संकल्प का आज तक पूरी तरह पालन नहीं हो पाया है, फिर भी जो कुछ हुआ है वह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है इस समय देश में 74 प्रतिशत की साक्षरता को मानते हुए 74 करोड़ लोग शिक्षित माने जाएंगे। यह स्वतंत्रता के समय की भारत की कुल आबादी की दुगुनी है। इसके साथ ही यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि 36 करोड़ लोग इस देश में आज भी अनपढ़ है।

प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए संवैधानिक विधार्थी तथा राष्ट्रीय वक्तव्य

संवैधानिक विधायी तथा राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय नीतियों तथा वक्तव्यों में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के उद्देश्य को समय–समय पर अनुमोदित किया गया है।

➢ **संवैधानिक आदेश 1950** – राज्य इस संविधान के लागू होने से 10 वर्ष की अवधि सभी बच्चों को जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर पाते, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।

➢ **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986** – 21वीं शताब्दी में पहुचने से पहले यह 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को संतोषजनक कोटि की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करेगा।

➢ **उन्नीकरण निर्णय 1993** – चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक देश के प्रत्येक बच्चे प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो।

➢ **शिक्षा मंत्रियों का संकल्प 1998** – *"सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लक्ष्य को मिशन के रूप में पूरा किया जाना चाहिए।"* प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाए जाने के लिए यह समग्र एवं संकेन्द्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल देता है।

➢ प्रारंभिक शिक्षा को मिशन के रूप में सर्वसुलभ बनाए जाने पर राष्ट्रीय समिति की 1999 की रिपोर्ट प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा योजनाओं की तैयार पर बल देकर समग्र एवं संकेन्द्रित दृष्टिकोण से युक्त मिशन के रूप में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाना चाहिए। इसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का समर्थन किया और प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्यों को मिशन के रूप में प्राप्त करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने की इच्छा व्यक्त की।

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थायें (प्राथमिक विद्यालय)

प्रांत/केन्द्र शासित प्रदेश – प्राथमिक विद्यालय

आंध्रप्रदेश	58249	नागालैण्ड	1499
अरूणाचल प्रदेश	1303	उड़ीसा	42104
असम	33236	पंजाब	13076
बिहार	53351	राजस्थान	38342
गोवा	1267	सिक्किम	501

गुजरात	15602	तमिलनाडु	31142
हरियाणा	11013	त्रिपुरा	2095
हिमाचल प्रदेश	10877	उत्तरप्रदेश	88927
जम्मू एवं कश्मीर	10926	पं. बंगाल	52426
कर्नाटक	22404	अंडमान एवं निकोबार	208
केरल	6758	चंड़ीगढ़	29
मध्यप्रदेश	62530	दादर एवं नागर हवेली	137
महाराष्ट्र	45971	दमन एवं द्वीप	53
मणिपुर	1752	लक्ष्यद्वीप	20
मेघालय	5646	पांडिचेरी	337
मिजोरम	1224		

प्राथमिक शालाएँ खोलने से अभिप्राय है निर्धारित प्रवेश आयु अर्थात् 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश दिलाने से हैं सामान्यतः यह पाया गया है कि अनेक बच्चे स्कूल में प्रवेश ही नहीं लेते है अनुमानतः 11 प्रतिशत बच्चे (लड़के 2 प्रतिशत तथा लड़कियों में 9 प्रतिशत) विद्यालय में प्रवेश नहीं लेते है।

भारत में साक्षरता दर 1951 – 2001

जनगणना वर्ष	व्यक्ति	पुरूष	नारी साक्षरता	पुरूष और नारी की साक्षरता दर में अंतर
1951	18.33	27.16	8.86	18.30
1961	28.30	40.40	15.35	25.05
1971	34.45	45.96	21.97	23.98
1981	43.57	56.38	29.76	26.62
1991	52.21	64.13	39.29	24.84
2001	65.38	75.85	54.16	21.70

बाल श्रमिक

लाखों की संख्या में आज भी 6 से 14 आयु वर्ग के बालक ऐसे है जिनको दो वक्त की रोटी भी उनके नसीब में नहीं है। कभी समाप्त न होने वाली दरिद्रता की गहराई बढ़ती जा रही है इसके कारण आज बच्चे स्कूल में नही जा पा रहे है। चाहे उनकी शिक्षा लेने की इच्छा हो या ना हो। मजबूरन उनके अभिभावकों को परिवार में आर्थिक सहायता के दृष्टिकोण से बच्चों को काम करने के लिए भेजा जाता है। जबकि बच्चों की उम्र खेलने और खाने की होती है।

समय के साथ–साथ बाल श्रमिकों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते औद्योगीकरण के कारण कारखानों मिल्स में बाल श्रमिक बढ़ रहे है। बाल श्रमिकों में पिछड़ी जाति के बच्चों का प्रमाण अधिक है। जिनको बचपन से ही उनके परिवार की तरफ से परिवारिक व्यवसाय की शिक्षा दी जाती है। उदाहरण के लिए – चमार, लोहार, सुनार,, भंगी, जुताई, खेती, मछुआरी, जंगल से लकड़ी काटना आदि। बालिकाओं को घर में काम के साथ–साथ अपने छोटे भाई को भी संभालने का कार्य करना पड़ता है। जिसकी वजह से वह स्कूल से वंचित है। साथ में माँ के काम में हाथ– बटाना जिससे बालिकाओं को किसी भी प्रकार का वेतन नहीं मिलता है।

बाल श्रमिक और संविधान

भारत सरकार ने वर्ष 2000 तक जोखिम वाले व्यवसायों में बाल मजदूरी एवं वर्ष 2010 तक सभी क्षेत्रों में बाल मजदूरी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। भारतीय संविधान में कामकाजी बालकों का शोषण रोकने का प्रयास किया है।

➢ अनुच्छेद 27

कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध। "चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।"

यह ध्यान देने योग्य है कि इस अनुच्छेद द्वारा अधिरोपित प्रतिबंध अत्यधिक है किसी बालक को किसी कारखाने या खान में नियोजन को या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन के प्रतिबंध।

➢ **अनुच्छेद 39**

संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार अनुच्छेद–39 (ई) में भी उल्लेख है कि राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए नीति बनाएगा कि "मजदूरों, पुरूषों व स्त्रियों तथा कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य एवं सामर्थ्य का दुरूपयोग न हो और नागरिक आर्थिक जरूरत के चलते ऐसे पेशों में जाने को विवश न हो जो उनकी उम्र व सामर्थ्य के अनुकूल न हो।

➢ **अनुच्छेद 45**

बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान भारत के संविधान के नीतिनिर्देशक सिद्धान्त में 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है।

➢ इस संबंध में समस्त लक्ष्य सभी बच्चों को संतोषजनक गुणवत्ता वाली निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है।

बाल श्रमिक कारण

बालश्रमिकों पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला घटक गरीबी है। गरीबी के कारण बच्चे अपने परिवार को आर्थिक सहयोग देने के लिए काम करते है इसके साथ ही बेरोजगारी, पारम्परिक, व्यवसाय, बच्चों का रास्ते में उपलब्ध होना गाँवों से शहरों में पलायन, निरक्षरता, बड़े परिवार और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधानों का न होना है।

श्रीनिवास– रेड्डी वी.जे. अपने अध्ययन में बाल–श्रमिकों के मुख्य कारण

गरीबी, पारंपरिक व्यवसाय, ऋण, अभिभावकों की आदतें दर्शायी है स्कूल जाने के लिए पैसे न होने के कारण भी बच्चे स्कूल छोड़कर काम करने के लिए जाते है। परिवार का आकार, जन्मदर में वृद्धि अभिभावकों का बालिकाओं के प्रति भेदभाव, स्कूल, में असुविधा यह भी कारण बाल श्रमिक बच्चों के निर्माण होने में मदद करते है।

बाल श्रमिक परिणाम

बाल श्रमिक का सबसे बड़ा परिणाम यह है कि जनसंख्या का एक बड़ा भाग दरिद्रता के अंधकार में डूबता जा रहा है। बच्चों के शरीर तथा उनकी मानसिकता पर भी इसका गहरा प्रभाव होता है। जिससे उनकी भविष्य के प्रति संवेदना कम होती जाती है। बड़े–बड़े काम की बजह से काम के बोझ से उनका मानसिक, शारीरिक, ज्ञानात्मक

विकास होने में बाधाएँ निर्मित होती है। बच्चों में कुण्ठा का भाव तथा न्यूनता आने की संभावना रहती है साथ में बच्चों के मन में समाज के प्रति डर और द्वेष पैदा होता है। जब तक बाल श्रमिक के कारणों के विशेष प्रयास नहीं होंगे तब तक बाल मजदूरी का उन्मूलन नहीं हो सकता। सही मायने में संकल्पबद्ध एवं समयबद्ध कार्यक्रम से ही इस समस्या का छुटकारा कर बच्चों को उनका बचपन लौटाया जा सकता है।

सरकार के द्वारा शुरू किए गए प्रमुख कार्य

राष्ट्रीय बालश्रम नीति और राष्ट्रीय शिक्षा–नीति का अनुपालन करते हुए कामकाजी बच्चों को बुनियादी शिक्षा देने के उद्देश्य से अनेक नए कदम उठाए गए है अनेक दृष्टिकोण से, मीडिया प्रचार और नवाचारी शैक्षिक कार्यक्रमों, दोनों के जरिए कार्य की तीव्रता बहुत व्यापक रही हैं इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस पर पिछले दो दशकों में अंतराष्ट्रीय स्तर पर किए गए व्यापक विचार विमर्श और परामर्शो का काफी प्रभाव रहा है। इनमें बाल अधिकार समझौतों को अपनाना भी या जिस पर भारत दुबारा हस्ताक्षर किए गए है। 1990 के दशक में की गई कुछ महत्वपूर्ण पहल कदमियों का यहाँ उल्लेख किया गया है :–

➢ बाल मजदूरी बहुल क्षेत्रों में बारह राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनायें शुरू की गई है ये है– आंध्रप्रदेश (जग्गमपुर और मर्कापुर), बिहार (गठवा), मध्यप्रदेश (मंदसौर), महाराष्ट्र (ठाणे), उड़ीसा (संबलपुर), राजस्थान (जयपुर), तमिलनाडु (शिवकाशी) और उत्तर प्रदेश वाराणसी, मिर्जापुर, भदोई, मुरादाबाद, अलीगढ़ और फिरोजबाद राष्ट्रीय बाल श्रमिक नीति के अन्तर्गत कराए गए बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा व्यवसाय प्रशिक्षण, सम्पूर्ण आहार, छात्रवृत्ति और स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की गयी है।

➢ बालश्रमिक अधिकता वाले राज्यों के लिए सभी बाल श्रमिक परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। लगभग 1,30,000 बच्चे शामिल है। सरकार ने इस परियोजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दे दी है और ऐसी परियोजनाओं की संख्या बढ़ाकर 100 कर दी है।

➢ श्रम मंत्रालय की सहायतानुदान योजना के अंतर्गत कामकाजी बच्चों के लिए कल्याणकारी परियोजनाएँ शुरू करने के लिए गैर सरकारी संगठन को परियोजना लागत के 75 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता दी जा रही हैं इन परियोजनाओं में बच्चों को

अनौपचारिक शिक्षा, सम्पूरित आहार, स्वास्थ्य सेवा और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाता हैं वर्ष 1998 – 99 में 83 गैर सरकारी संगठन ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। उन्हें 90 लाख रूपये से अधिक का अनुदान दिया गया है इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की कामकाजी बच्चों की शिक्षा में लगे गैर सरकारी संगठन को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वस्तुतः कामकाजी बच्चों की बुनियादी शिक्षा प्रदान करने की समस्या से जूझ रहे गैर सरकारी क्षेत्र में 1990 के चालू दशक में अनेक नवाचारी कार्यक्रम देखने में आये है।

➢ शिक्षा क्षेत्र के भीतर कामकाजी बच्चों की शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी के लिए शिक्षा परियोजनाओं का विशेष प्रावधान है बालिकाओं की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाता है जो घरेलु कामकाज के कारण विद्यालय शिक्षा से वंचित रह जाती हैं मगर फिर भी उन्हें कामकाजी बच्चा नहीं माना जाता है। उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बालिका शिविर सहित वैकल्पिक विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम और विशेष अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम तैयार किए गए है।

1.2 सर्व शिक्षा अभियान

भारतीय संविधान की 45वीं धारा में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। सन् (1988) 1998 में राज्य एक मिशन के रूप में सार्वभौमिक प्रांरभिक शिक्षा एक मिशन के रूप में स्वीकार करके संचालित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। इस सम्मेलन के अन्तर्गत "सर्व शिक्षा अभियान" योजना विकसित की गई जिसमें सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया तथा इसे नवम्बर 2000 में मंजूर किया गया।

इसके अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों में निवासरत बालक/ बालिकाओं को शिक्षा के विकास हेतु कार्यक्रमों/ योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जिनमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अनौपचारिक शिक्षा, महिला समस्या, सभी के लिए शिक्षा लोक जुम्बिश योजना, ब्रिज कोर्स, स्कूल चले हम, मध्यान्ह भोजन, शिक्षा गारंटी योजना, कस्तूरबा गांधी योजना आदि का संचालन किया जा रहा है।

इन कार्यक्रमों के माध्यम से बालिकाओं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गो और कठिन परिस्थितियों के अन्य बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

1.3 आवासीय ब्रिजकोर्स

उद्देश्य

आवासीय ब्रिजकोर्स का उद्देश्य उन बालिकाओं के लिये है जो शाला से बाहर है, जो कभी स्कूल नहीं गयी या जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है उन्हें अपनी उम्र के मुताबिक औपचारिक स्कूल में उचित कक्षा में प्रवेश पाने के लिये तैयार करना है।

लक्ष्य

प्रत्येक जिले में एक आवासीय ब्रिजकोर्स बालिका के लिये होगा। जिन ग्रामों मे बालिकाओं की संख्या कम है या जहाँ किसी ऐसे काम में लगी हुई है जिससे निकालकर स्थानीय स्तर पर शाला में डालना संभव नहीं है या जहाँ पलायन की समस्या हैं वहाँ ऐसी बालिकाओं को आवासीय ब्रिजकोर्स में प्रवेश हेतु प्रोत्साहित किया जावेगा। इसके लिये जन–शिक्षा केन्द्र स्तर पर शिविर लगाये जायेंगे। आवासीय ब्रिज कोर्स में 100 बालिकाओं के लिये पठन–पाठन, आवास भोजन की व्यवस्था होगी।

प्रचार–प्रसार

- सभी स्तरों पर व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावेगा।
- ब्रिजकोर्स के क्रियान्वयन के लिये जिला–स्तरीय व विकासखण्ड स्तरीय अमलों का उन्मुखीकरण किया जायेगा।

सम्पर्क कार्यक्रम

ब्रिजकोर्स आरम्भ करने से पहले उस ग्राम में सम्पर्क कार्यक्रम रखा जायेगा। जिसके माध्यम से बच्चों को ब्रिज कोर्स में आने के लिये प्रेरित किया जायेगा।

मोटिवेशन कैम्प

सम्पर्क कार्यक्रम के बाद 3 दिवस का एक मोटीवेशन कैम्प लगाया जायेगा। जो बच्चों के लिये होगा। जिसमें बच्चों का नामांकन खेलकूद गतिविधियॉ बच्चों व

समुदाय के साथ रैली निकालना, बच्चों के अभिभावकों से चर्चा इत्यादि के द्वारा बच्चों को पढ़ने–लिखने हेतु प्रेरित किया जायेगा। साथ ही गैर आवासीय एवं आवासीय ब्रिज कोर्स के लिये बच्चों की पहचान की जायेगी।

शिविर – स्थल – चयन

शिविर–स्थल का चयन बहुत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। शिविर स्थल सुरक्षित हो तथा वहॉ आवागमन, चिकित्सकीय, पढ़ने एवं खेलने, आवास, शिक्षण–प्रशिक्षण, सामग्री भण्डारण, बिजली, पानी तथा शौचालय एवं स्नानघर आदि की व्यवस्था हो।

शिविर हेतु बालिकाओं का चयन

शिविर हेतु उन बालिकाओं का चयन किया जायेगा जो 7–14 आयु वर्ग की हैं। परन्तु चयन में बड़ी उम्र की ऐसी बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाये जिन्हें पूर्व में पढ़ने का अवसर नहीं मिला है।

- शिविर में एक ही गॉव की बालिकाओं का बाहुल्य नहीं हो जहाँ एक ही गॉव में अधिक बालिकायें हों उनके लिये गैर आवासीय ब्रिजकोर्स की व्यवस्था की जाये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाये।
- चयन प्रक्रिया के दौरान अभिभावकों से सहमति पत्र, जन्मतिथि आदि की जानकारी के साथ–साथ, संक्रामक अथवा असाध्य रोग से पीड़ित नहीं होने का प्रमाण–पत्र डाक्टरी जाँच करवाकर निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करना आवश्यक है।

शिविर हेतु स्वयं सेवक शिक्षिकाओं का चयन (केवल महिलायें)

- 100 बालिकाओं के शिविर में 3 शिक्षिकाओं का होना आवश्यक हैं। शिक्षिकाओं का चयन पश्चात् उनका सात दिवसीय प्रशिक्षण किया जाये। इनमें एक प्रभारी शिक्षिका होगी। उनकी निम्नलिखित योग्यतायें निर्धारित की गई है।
- न्यूनतम 12वीं उत्तीर्ण हो। परन्तु उच्च योग्यताधारी एवं प्रशिक्षित (बी.एड़., डी. एड.) को चयन में वरीयता दी जानी चाहिए।

- आयु– 21–35 वर्ष के बीच हो तथा शिविर में आवासीय रहने के लिये मानसिक रूप से तैयार हो।

नियुक्ति प्रक्रिया एवं चयन का आधार

- विज्ञापन के द्वारा आमंत्रित आवेदनों पर शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार जिला स्तर पर गठित जेण्डर समूह द्वारा अनुशंसा सहित नियुक्ति हेतु प्रस्ताव जिला कलेक्टर को भेजे जायेंगे।
- चयन के लिये प्राथमिकता क्रम इस प्रकार होगा–
  - अनुसूचित जनजाति
  - अनुसूचित जाति
  - पिछडा वर्ग
  - अन्य।
- चयन में उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी जो अधिक से अधिक बालिकाओं को ब्रिज कोर्स में जाने के लिये अभिप्रेरित करेगी। जिन्हें पेटिंग, सिलाई, कढ़ाई की जानकारी हो तथा शिविर के दौरान बालिकाओं को सीखा सके तथा बालिकाओं को पारिवारिक वातावरण दे सकें।
- शिविर में शिक्षिकाओं के भोजन एवं आवास की निः शुल्क व्यवस्था की जायेगी।

शिविर हेतु व्यवस्थापक का चयन

- न्यूनतम स्नातक हो, उम्र न्यूनतम 50 वर्ष हो, शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हो।
- बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच के साथ–साथ शिविर शिक्षिकाओं एवं अध्यनरत् बालिकाओं के प्रति संरक्षा भाव युक्त सेवानिवृत्त फौजी, शिक्षक अथवा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी ही लिया जाये।

शिविर का आरंभ एवं समयावधी

- 15 अगस्त 2004 से आवासीय ब्रिज कोर्स केन्द्र आरम्भ किया जायेगा।
- शिविर प्रारम्भ होने से पूर्व स्थान, आवास, स्टेशनरी, खेल सामग्री, पाठय पुस्तकों तथा स्वयं सेविकाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

- शिविर में पुरूष व्यवस्थापक के अलावा अन्य किसी भी पुरूष का रात्रि विश्राम प्रतिबंधित होगा।
- ब्रिजकोर्स के आवासीय बालिका शिविर की अवधि अधिकतम 9 माह होगी।
- पठन–पाठन सामग्री
- ब्रिज कोर्स मटेरियल दक्षता आधारित होगा, इसके 3 भाग होंगे
- कक्षा 1 एवं 2 की दक्षताओं पर आधारित भाग–1
- कक्षा2 की दक्षताओं को सुदृढ करते हुये कक्षा 3 की दक्षताओं पर आधारित भाग–2
- कक्षा3 की दक्षताओं को सुदुढ़ करते हुये कक्षा4 की दक्षताओं पर आधारित भाग–3
- इसके अलावा सहायक सामग्री के रूप में कक्षाओं में पढायी जाने वाली पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिकायें, पेन, पेंसिल, रबर, बस्ता आदि।

पाठन सामग्री, स्वयंसेवक मार्गदर्शिका, रोल बोर्ड, चॉक, चार्ट इत्यादि।

सभी बच्चों के लिये शुरूआत ब्रिजकोर्स भाग–1 से ही की जायेगी। प्रत्येक भाग के लिये अधिकतम 3 माह का समय होगा। यह सम्भव है कि जो बच्चे समूह 2 में समूह 3 में हों वे बच्चे प्रथम भाग को शीघ्र पूर्ण कर लें व उन्हें 3 माह का समय न लगे। अतः जैसे–जैसे बच्चे भाग पूर्ण करते जायेंगे वैसे ही उन्हे अगला भाग पढ़ाया जायेगा। साथ में उन्हें पाठ्य–पुस्तकें भी पढ़ाई जायें ताकि वे उपयुक्त कक्षा में प्रवेश के समय पाठ्य–पुस्तकों से परिचित हों लेकिन ब्रिज कोर्स भाग–1 पढाने के बाद ही पाठ्य पुस्तकों से परिचय करवायें।

प्रबंधन

शिविर संचालन हेतु स्थानीय स्तर पर एक प्रबंध समिति गठित की जायेगी इसमें

- स्थानीय जनपद शिक्षा समिति के अध्यक्ष
- विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी
- जेण्डर समन्वयक

- बी. आर. सी. सी. एवं बी. ए. सी
- स्थानीय निकटस्थ शाला का प्रधानाध्यापक
- शिविर व्यवस्थापक
- समस्त स्वयं सेविकायें
- स्थानीय स्तर पर शिविर के समुचित संचालन की देख–रेख करेगी।

माता शिक्षिका एसोसिएशन का गठन

प्रत्येक बालिका शिविर में नामांकित सभी बालिकाओं की माताओं एवं शिक्षिकाओं को शामिल कर माता– शिक्षिका एसोसिएशन का गठन किया जाये। प्रतिमाह की निश्चित दिवस एक घण्टे की बैठक कर शिविर से संबंधित जानकारी से अवगत करायें।

अकादमिक सह–शैक्षणिक एवं सृजनात्मक गतिविधियाँ

बालिकाओं के चयन पश्चात् शिविर स्थल पर प्रारम्भिक चरण में उनके पूर्व ज्ञान की परख हेतु प्री टेस्ट लिया जायेगा। जिसके आधार पर उनके कौशल एवं शैक्षिक स्तरानुसार समूह बनाये जा सकें तथा सतत् मूल्यांकन द्वारा प्रगति का आंकलन हो सकें।

- बालिकाओ को उनके स्तर के अनुरूप सामान्यतः तीन समूहों में बांटा जा सकता है–

समूह 1– अनामांकित बालिकायें जो पढ़ना–लिखना नहीं जानती।

समूह 2– शाला त्यागी (अ) जो अक्षर पहचानती है परन्तु मात्राओं के साथ शब्दों को पहचानने में समस्या है।

समूह 2 – शाला त्यागी (ब) जो शब्द पढ़ पाती है। वाक्य पढ़ पाती हैं तथा अक्षरों को मात्राओं सहित पहचानती है व पढ़ पाती हैं।

वर्ग विभाजन

बालिकाओं में अपनी पहचान तथा प्रतियोगिताओं हेतु समूह का नाम सुनिश्चित करें व समूहवार स्वयंसेविका को जिम्मेदारी सौंपी जाये।

सह शैक्षणिक गतिविधियॉ

- आवासीय बालिका शिविरों में सह शैक्षणिक गतिविधियों का अपना महत्व है। ये गतिविधियॉ हैं –

  प्रभाती, व्यायाम सत्र, प्रार्थना सत्र, खेलकूद आदि।

सृजनात्मक गतिविधियां

- आवासीय बालिका शिविरों में सह शैक्षणिक गतिविधयों का अपना महत्व है। ये गतिविधियॉ हैं –

  – प्रभाती, व्यायाम सत्र, प्रार्थना सत्र, खेलकूद आदि।

पुस्तकालय

शिविर के एक कक्ष में पुस्तकालय स्थापित किया जाये जिसमें चित्र पुस्तकें भी रखी जायें जिन्हें पढ़ना न जानने वाली बालिकायें भी समझ सकें।

- ग्रामीण पुस्तकालय, जनशिक्षा केन्द्र में क्रय की गयी पुस्तकें इसमें रखी जाये। प्रारम्भ में पुस्तकालय का संचालन शिक्षिका द्वारा ही तदुपरान्त बालिका को दायित्व सौंपे।

चार्टस व मानचित्र तथा जीव व कविताओं हेतु प्रोत्साहन ।

- चार्टस व मानचित्र द्वारा रूचिपूर्ण अध्ययन करवाया जाये।
- बालिकाओं द्वारा रचित गीत एवं कविताओं को रिकार्ड करने की व्यवस्था करें।

भ्रमण

- शिविर में सरकारी विभागों के विशेषज्ञों आदि का भ्रमण करवाया जाये।
- बालिकाओं को शिविर से बाहर स्थानीय स्तर पर तहसील, पंचायत, पोस्ट आफिस, पुलिस थाना बैंक, विद्यालय, चिकित्सालय आदि का पाक्षिक भ्रमण कराया जाये जिसमें उन विभागों के बारे में व्यवहारिक जानकारी दी जाये।

चेतना सत्र

इस सत्र के द्वारा बालिकाओं में व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षिक, नैतिक, व्यवहारिक जीवन मूल्य आधारित चेतना विकसित करने का कार्य, अभिव्यक्ति कौशल, सामान्य ज्ञान चर्चा, सृजन बाल सभा की बैठक, आत्मविश्वास पैदा करने वाला गतिविधियां सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि द्वारा किया जावे।

स्वास्थ्य व जन सहयोग

मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिलकर शिविर की बालिकाओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु चिकित्सक नियुक्त करायें। किसी बालिका को गंभीर बीमारी हो तो उसे शिविर से घर भेजकर अभिभावकों को इलाज का परामर्श देंगे।

- शिविर प्रारम्भ होने के 7 दिवस में ही सभी बालिकाओं का परीक्षण अनिवार्य रूप से करवाकर आयु एवं विकलांगता का प्रभावीकरण प्रतिमाह वजन, ऊँचाई का माप, रक्त व दृष्टि की जांच अभिलेख संधारण करें।
- प्रतिदिन शौच, दातुन, स्नान, कपड़ों की सफाई, पर भी ध्यान दें।
- रसोई एवं स्टोर की स्वच्छता, पेयजल की स्वच्छता एवं संतुलित भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- जनसहयेाग, ड्रेस, स्वेटर, जूते, पंखे, पानी की टंकी आदि के रूप में लिया जा सकता है। खाद्य सामग्री या नगद राशि न ली जाये। प्राप्त जन सहयोग का व्यवस्थित अभिलेख संधारण करें। सूची को शिविर स्थल पर प्रदर्शित करें।

कार्यक्रम की मॉनीटरिंग

- कार्यक्रम की मॉनीटरिंग का दायित्व जिला व विकासखण्ड स्तरीय समूहों का रहेगा जिसमें जिला परियोजना समन्वयक, BAC, BRCC जनशिक्षण, डाईट के प्रतिनिधि, GC शामिल है।

मासिक बैठक

- जिले में प्रतिमाह प्रथम सप्ताह में बालिका शिविर की एक दिवसीय समीक्षा बैठक आयोजित की जाये। जिसका एजेण्डा निम्नानुसार हो–

- बैठक से पूर्व अवलोकन के सकारात्मक एवं सुझावात्मक बिन्दुओं पर चर्चा व सुझाव।
- बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि, प्रगति एंव व्यवहारगत परिवर्तन पर प्रतिवेदन।
- शिक्षण में आने वाली समस्यायें व सुझाये गये समाधानों पर चर्चा व निर्णय।
- व्यवस्थापक व स्वयं सेविकाओं की समस्यायें व उनके समाधान।

अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण

- ब्रिजकोर्स के नियमित संचालन, मॉनीटरिंग के लिये विकासखण्ड स्रोत समन्वयक एवं जेण्डर समन्वयक उत्तरदायी होंगे। विकासखण्ड/ जिला स्तर पर गठित कोर समूह भी नियमित रूप से इसकी मॉनीटरिंग करेगा।
- शिविर प्रभारी बच्चों की प्रगति से प्रतिमाह विकासखण्ड को अवगत करायें। जिले से निर्धारित प्रपत्रा में जानकारी राज्य को प्रतिमाह प्रेषित की जायेगी।

बच्चों के मूल्यांकन

- स्वयं सेवक द्वारा सतत् रूप से बच्चों का मूल्यांकन कर रिकार्ड रखा जायेगा।
- बच्चों का मासिक मूल्यांकन शिक्षकों द्वारा कर रिकार्ड रखा जायेगा।
- इसके अतिरिक्त कम से कम 4 बार बाह्य मूल्यांकन किया जायेगा जिसमें डाईट प्रतिनिधि, एक BAC, जनशिक्षक, एक रिसोर्स पर्सन होगा। प्रत्येक मूल्यांकन का विधिवत रिकार्ड रखा जायेगा।

अन्तिम मूल्यांकन या Post Test और बच्चों का शाला में दाखिला

- ब्रिजकोर्स के अंत में एक मूल्यांकन किया जायेगा, जिसके आधार पर अंक तालिका तैयार की जायेगी एवं बच्चों को कक्षा में दर्ज किया जायेगा तथा प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
- ब्रिजकोर्स के दौरान जैसे–जैसे बच्चे अपना समकक्ष स्तर प्राप्त करते जायेंगे, इन्हें उनकी योग्यता के अनुरूप कक्षा में दर्ज कर लिया जायेगा।

- किसी भी स्थिति में शिक्षक द्वारा उन बच्चों को शाला में दर्ज करने से इंकार नहीं किया जा सकेगा। ऐसे बच्चे जो अपरिहार्य कारणों से शाला में दर्ज न हों उनके लिये ओपन स्कूल से 5 वीं व 8 वीं की परीक्षा में बिठाने की कार्यवाही की जायेगी।

वित्त व लेखा

- विकासखण्ड स्तर के शिविर के खाते का संचालन BRC व शिविर प्रबंधक के संयुक्त हस्ताक्षर तथा ऐसे स्थलों के शिविर जो विकासखण्ड स्तर पर नहीं है, के खाते के संचालन स्थानीय शाखा के हेडमास्टर व शिविर प्रबंधक के संयुक्त हस्ताक्षर से होना।

अभिलेख या प्रबंध सूचना तंत्र

प्रत्येक बालिका की व्यक्तिगत फाईल में निम्न जानकारी हो–

प्रवेश आवेदन पत्र, पूर्व ज्ञान परीक्षा प्रपत्र, आधारभूत सूचनायें, प्रथम 15 दिवस तक बालिका का व्यवहार – ब्यौरा लिखे, साप्ताहिक मूल्यांकन प्रपत्र, विशेष उपलब्धियों का विवरण, स्वास्थ्य परीक्षण प्रपत्र, प्रश्न पत्र संग्रह फाईल, मूल्यांकन फाईल, वाऊचर फाईल, मासिक प्रतिवेदन फाईल, समग्र शिविर प्रतिवेदन फाईल मय छायाचित्र, अवकाश पत्रावली।

रजिस्टर

पंजीयन रजिस्टर, स्वास्थ्य निरीक्षण व दवाई वितरण रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर (बालिकाओं, शिक्षिकाओं एवं अन्य स्टाफ का), कोर ग्रुप रजिस्टर, बालिकाओं के आगमन का रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर (स्थाई, अस्थाई), मासिक व्यय रजिस्टर तथा अभिभावक माता शिक्षण पत्रिका रजिस्टर।

फॉलोअप (अनुश्रवण)

- शिविर समाति पर बालिकाओं की सूची, ग्राम की संबंधित शाखा को उपलब्ध करवायी जाये। जिनके क्षेत्र से बालिकायें शिविर में आयी हैं। इसकी एक प्रति उस क्षेत्र के नोडल अधिकारी / H.M. एवं B. E. O. को भेजी जाये।

- यदि किसी गांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय न हों तो नजदीकी गांव के विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रेषित किया जाये।
- अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राओं को ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में रहने की व्यवस्था की जाए।

1.4 गैर आवासीय ब्रिज कोर्स

उद्देश्य

- गैर आवासीय ब्रिज कोर्स का उद्देश्य उन बच्चों को जो शाला से बाहर हैं। जो कभी स्कूल नहीं गये या जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है उन्होंने अपनी उम्र के मुताबिक औपचारिक स्कूल में उचित कक्षा में प्रवेश के लिये तैयार करना है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि गैर आवासीय ब्रिजकोर्स की योजना बालक तथा बालिकाओं दोनों के लिये है जबकि आवासीय ब्रिजकोर्स की योजना केवल बालिकाओं के लिये है।

ग्राम / बसाहट चयन

- ऐसी बसाहटों में जहा कम से कम 20 बच्चें (7 से 14 आयु समूह के) हों वहॉ प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया जायेगा।
- इसके अलावा विशेष दूरस्थ व आदिवासी क्षेत्र में 15 बच्चे भी हो सकते हैं। यदि जिले में 15 बच्चे भी किसी गॉव में न मिले तो वहॉ ऐसे स्थानों का चयन भी किया जा सकता है जहॉ 10 बच्चे हों।
- ऐसे बच्चों की सूची स्वयं सेवक व स्थानीय शिक्षक के द्वारा तैयार की जायेगी जो 7 से 14 आयु समूह के हों तथा जो शाला से बाहर हों। उनके नाम में VER दर्ज हैं या नहीं, सभी को ब्रिजकोर्स में दर्ज किया जा सकेगा एवं निर्धारित प्रपत्र में बालक–बालिका की जानकारी तैयार की जायेगी।

स्थल का चयन

- प्राथमिकता के आधार पर शाला में ही संचालित होगा। जहॉ शाला में स्थान की कमी हो तो समुदाय द्वारा प्रदान किये गये स्थान, जो शाला से अधिक दूर न हों पर भी कक्षा लगाई जा सकती है।
- ऐसी बसाहटों में जहॉ शाला न हो ब्रिजकोर्स हेतु समुदाय को ही स्थान देना होगा।
- स्थान साफ सुथरा हो, प्रकाश की व्यवस्था हो तथा बच्चों के बैठने के लिये पर्याप्त स्थान हो। कक्षा सामान्यतः शाला समय में ही संचालित की जायेगी।
- यदि बालिकाओं के माता–पिता उस समय में भेजने हेतु सहमत न हों तो विशेष परिस्थितियों में पालक शिक्षक संध द्वारा उनकी सुविधानुसार समय तय किया जायेगा।

समयावधि

- ब्रिजकोर्स एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया नहीं है यह बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार स्कूल की उचित कक्षा में प्रवेश हेतु तैयार करने के लिये एक सेतु के रूप में उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया मात्रा है। अतः इसकी समयावधि बच्चों की उम्र व उनके स्तर के आधार पर तय होगी।
- 7–9 वर्ष के बच्चों के लिये 3 से 5 माह व 9–14 वर्ष के बच्चों के लिये 9 माह तक की समयावधि रखी जा सकती। किन्तु यह 9 माह से अधिक नहीं होगी।

रणनीति

- इसमें प्रचार–प्रसार ग्राम स्तर पर सम्पर्क, मोटिवेशन कैम्प एवं संचालन प्रक्रिया आवासीय ब्रिजकोर्स के समान ही रहेगी।

स्वयं सेवक चयन की प्रक्रिया

शैक्षणिक योग्यता

- कम से कम 12वीं तक शिक्षा प्राप्त की हो। अपरिहार्य परिस्थितियों में 10वीं पास को भी लिया जा सकेगा।

- डी. एड़ / बी. एड. प्राथमिकता।
- स्वयं– सेवक की बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता हों।

नियुक्ति प्रक्रिया

- स्थानीय व्यक्ति प्रमुख रूप से महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि बालिकाओं के लिये ही कैम्प लगाया गया हो तो अनिवार्यतः महिला स्वयं – सेवक ही रखी जायेगी। केवल विशेष परिस्थितियों में महिला उपलब्ध न हो तो, बालिकाओं के सभी पालकों से लिखित अनुमति लेकर ही पुरूष स्वयं–सेवक को रखा जायेगा।
- पालक शिक्षक–संघ/ग्राम शिक्षा समिति अपनी बैठक में निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार का चयन करेगा।
- प्रक्रियाओं के अन्य बिन्दु आवासीय ब्रिजकोर्स की चयन प्रक्रिया के समान होगे।

मानदेय

- स्वयं सेवक का 1000/– रूपये प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जायेगा।
- स्वयं सेवक की अधिकतम 9 माह के लिये रखा जा सकेगा।
- मानदेय की राशि पालक शिक्षा संघ के शाला शिक्षा कोष में प्रदान की जायेगी। जहॉ शाला नहीं है वहॉ यह राशि ग्राम शिक्षा समिति के खाते में प्रदान की जायेगी जो ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं स्थानीय सवयं सेवक का संयुक्त खाता रहेगा।

प्रशिक्षण, पठन–पाठन सामग्री, सृजनात्मक गतिविधयां, पुस्तकालय, भ्रमण, चेतना सत्र

- ये समस्त गतिविधियां आवासीय ब्रिज कोर्स के समान ही हैं।
- ब्रिज कोर्स केन्द्र में संधारित किये जाने वाले अभिलेख :–
- दर्ज बच्चों की प्रोफाइल, प्रीटेस्ट प्रपत्र, मासिक मूल्यांकन का अभिलेख, प्रत्येक बाह्य मूल्यांकन का अभिलेख, मासिक जानकारी रजिस्टर, व्यय रजिस्टर।

बच्चों का मूल्यांकन

- स्वयं सेवक द्वारा सतत् रूप से बच्चों का मूल्यांकन किया जायेगा। प्रत्येक बच्चे का साप्ताहिक मूल्यांकन का रिकार्ड परिशिष्ठ 3 (अ) अनुसार रखा जायेगा।
- बच्चों का मासिक मूल्यांकन जन शिक्षण द्वारा किया जायेगा व बच्चों के Performance के आधार पर ही स्वयं सेवक को मानदेय प्रदान किया जायेगा। दर्ज बच्चों मेंसे कम से कम 80 प्रतिशत बच्चों द्वारा निर्धारित स्तर प्राप्त करना आवश्यक हागा। तभी स्वयं सेवक के मासिक मानदेय देय होगा।
- इसके अलावा कम से कम 4 बार आवासीय ब्रिजकोर्स के समान ही बाह्य मूल्यांकन टीम द्वारा बाह्य मूल्यांकन किया जायेगा।

अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण

- मासिक बैठकें, अकादमिक मॉनिटरिंग, अन्तिम मूल्यांकन आदि आवासीय ब्रिज कोर्स के समान होगें।

फॉलोअप

- बच्चों के कक्षा में दर्ज हो जाने के उपरान्त कम से कम 6 माह तक उनकी उपस्थिति, नियमितता व उनके उपलब्धि स्तर पर स्थानीय शिक्षक द्वारा नियमित रूप से ध्यान दिया जायेगा।

लेखाओं का संधारण

- केन्द्र हेतु आवश्यक राशि पालन– शिक्षक संघ के शाला शिक्षा कोष में प्रदान की जावेगी। जहाँ पालक शिक्षक संघ नहीं हैं वहाँ ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं स्वयंसेवक का खाता खोला जायेगा। ब्रिजकोर्स के लिये प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिला कार्यालय को भेजा जायेगा।

बजट

प्रति केन्द्र 12000 रूपये का व्यय का प्रावधान होगा। प्रति 20 बच्चों को भेजा जायेगा।

1.5 शोध समस्या का शीर्षक

सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में ब्रिजकोर्स के द्वारा शाला में नामांकित विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन।

1.6 शोध–समस्या की आवश्यकता

विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के मतों से स्पष्ट होता है कि सभी स्तर के बालक–बालिकाओं को शिक्षित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अभी भी कुछ परिवारों में बालक एवं बालिकाओं के बीच भेदभाव किया जाता हैं जिससे बालिकाओं की शिक्षा उचित तरीके से नहीं हो पाती है या वे इससे पूर्णरूपेण वंचित हो जाती है और रूचि भी नहीं लेती। ब्रिजकोर्स तथा सामान्य विद्यालय में अध्ययन करने वाले बालक बालिकाओं का शैक्षिक स्तर भिन्न–भिन्न होता है। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि का प्रभाव उनकी शिक्षा पर अवश्य पड़ता है। इसलिए जिला स्तर के बच्चों का प्रवेश ब्रिजकोर्स में करवाकर उनकी शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाने में सहायता मिल सकती है तथा ऐसे बच्चों की पहचान की जा सकती है जिन्हें शिक्षा हेतु घर का प्रेरक वातावरण उपलब्ध नहीं होता। उनके लिए विद्यालय में कुछ पूरक व्यवस्थायें की जा सकती है जिससे उनके लिए प्रेरक वातारवरण मिल सके तथा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सके तथा यह पता लगाया जा सके कि आवासीय ब्रिजकोर्स तथा सामान्य विद्यालय के बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि में कितना अंतर है तथा ब्रिजकोर्स में प्रवेश के बाद कितनी बालिकाओं का विद्यालय में ठहराव हुआ तथा कितनी बालिकाओं ने विद्यालय में प्रवेश लिया।

यह जानकारी प्राप्त कर बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश के लिए किस प्रकार प्रेरित किया जा सकता है, का पता लगाकर उसकी कमी की पूर्ति की जा सके।

अतः उक्त समस्या पर शोध किया जाना अति आवश्यक है।

हम इस शोध के द्वारा यह देखना चाहते है कि सरकार के द्वारा जो ब्रिजकोर्स चलाया जा रहा है, उनका हमारे देश के गाँवों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, क्या यह कार्यक्रम सफल है? क्या बालक इसमें प्रवेश ले रहे है? इसका हमारे शैक्षिक वातावरण पर कितना और कैसा प्रभाव पड़ रहा है?

1.7 शोध–समस्या का महत्व

शोध द्वारा यह ज्ञात किया जा सकेगा कि आवासीय ब्रिज कोर्स के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाएँ जिन्हें परिवार में शिक्षा हेतु प्रेरक वातावरण नहीं मिलता उन्हें चिन्हित कर उनके लिए और भी आवासीय योजनाएं बनाई जाए तथा उन्हें प्रेरक वातावरण दिया जा सके साथ ही उन्हें बालश्रम से बचाया जा सकेगा तथा समान शैक्षिक अवसर प्रदान कर सभ्य सुयोग्य नागरिक के रूप में विकसित किया जा सकेगा। अतः इस शोध के द्वारा ब्रिजकोर्स की शैक्षिक उपलब्धि का प्रभाव को समझना अति महत्वपूर्ण है। हमारे द्वारा लघु शोध प्रबंध के रूप में जो अध्ययन किया जा रहा है उसका प्रभाव निष्कर्ष के रूप में जब सामने आएगा तो सरकार जब कभी ब्रिजकोर्स के बच्चों के लिए जो नीतियों का निर्माण करेगी तो उनमें बदलाव व सुधार अवश्य आएगा इससे बच्चों का सार्वगीण विकास वर्तमान से बेहतर हो सकेगा।

1.8 शोध–समस्या का परिभाषीकरण

➢ आवासीय ब्रिजकोर्स

जहाँ 7–14 आयु वर्ग की शालाओं से बाहर या शाला त्यागी बालिकाओं को आवासीय बाहर या शाला त्यागी बालिकाओं को आवासीय सुविधा के साथ शिक्षित कर सामान्य विद्यालयों की कक्षा 3 से 5 में प्रवेश के लिये सेतु का कार्य किया जाता है।

➢ शैक्षिक उपलब्धि

शैक्षिक उपलब्धि से तात्पर्य प्राथमिक स्तर के छात्र–छात्राओं द्वारा उपलब्धि परीक्षा में अर्जित अंकों से है।

1.9 उद्देश्य

- ➢ ब्रिज कोर्स के उद्देश्यों को जानना।
- ➢ ब्रिजकोर्स में नामांकित बच्चों की पृष्ठभूमि का अध्ययन।
- ➢ ब्रिजकोर्स के द्वारा विद्यार्थियों का विद्यालय में नामांकन व ठहराव का अध्ययन।
- ➢ ब्रिजकोर्स के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन।

- ब्रिजकोर्स और नान ब्रिजकोर्स के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन।

1.10 शोध प्रश्न

- ब्रिजकोर्स के क्या उद्देश्य है?
- क्या यह उद्देश्य पूर्ण हो रहे है?
- ब्रिजकोर्स में नामांकित बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है?
- ब्रिजकोर्स में प्रवेशी विद्यार्थियों मे से कितने विद्यार्थियों का विद्यालय में नामांकन हुआ ?
- ब्रिजकोर्स कें विद्यार्थियो की विद्यालय में ठहराव की जानकारी क्या है?
- ब्रिजकोर्स कें द्वारा विद्यार्थियो की शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन?

1.11 परिकल्पना

- ब्रिजकोर्स और नॉन–ब्रिजकोर्स के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि मं सार्थक अंतर नहीं है।
- ब्रिजकोर्स और नॉन ब्रिजकोर्स के विद्यार्थियों की मौखिक उपलब्धि परीक्षा की उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं है।
- ब्रिजकोर्स और नॉन ब्रिजकोर्स के विद्यार्थियों की लिखित उपलब्धि परीक्षा की उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं हैं।
- ब्रिजकोर्स और नॉन ब्रिजकोर्स के विद्यार्थियों की हिन्दी लिखित उपलब्धि परीक्षा की उपलब्धि में सार्थक अंतर नही है।
- ब्रिजकोर्स और नॉन ब्रिजकोर्स के विद्यार्थियों की गणित लिखित उपलब्धि परीक्षा की उपलब्धि में सार्थक अंतर नही है।

1.12 सीमाएं

- भोपाल जिले के 1 ब्रिज कोर्स केन्द्र के नामांकन, ठहराव व शैक्षिक उपलब्धि तक सीमित है।
- शैक्षिक उपलब्धि मापन परीक्षा भाषा और गणित तक सीमित है।